रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/92 REGISTERED NO. DL—33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 1992 (ज्येष्ठ 9, 1914)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 1992 (JYAISTHA 9, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

बम्बई–400005, दिनांक 21 अप्रैल 1992

सं० 120/12/01/001/92--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 3 मई, 1991 की अधिसूचना बैंपविवि० सं० आर० ई० टी० बी० सी० 120/सी/96(आर०ई०टी०)–91 में संशोधन करके इसके द्वारा निदेश देता है कि शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं में 17 अप्रैल, 1992 के स्तर से अधिक की किसी भी वृद्धि के लिए 10 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को छूट दी जायेगी । तथापि 10 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रारक्षित निधि नकदी अनुपात 17 अप्रैल 1992 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के स्तर तक के लिए जारी रहेगा ।

कुमारी वि० विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

केनरा बैंक

कार्मिक व निवेश विभाग

प्रधान कार्यालय

बेंगलूर–560002, दिनांक 29 अप्रैल 1992

सं० कार्विकाप्र 4420/71 राव--केनरा बैंक का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को आगे आशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों का नाम केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1979 है ।

(2) ये विनियम अधिकारक राज पत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

3. आशोधन का ब्यौरा
जैसे अनुबंध में दिया गया है ।

कार्मिक प्रबन्धन अनुभाग

क्रम सं०	विनियम संख्या	वर्तमान विनियम	विनियम का आशोधित रूपांतर बोर्ड द्वारा किये गये आशोधन को ध्यान में रखने के बाद	बोर्ड द्वारा आशोधन अपनाये जाने की तारीख	अभ्युक्तियां
1.	23(VIII)	दिन के दौरान उसका कार्य-समय न्यूनतम 2 घण्टों के अन्तराल के साथ विभाजित हुआ है तो प्र मा 25 रु० का विभाजित ड्यूटी भत्ता	23(VIII) 1-1-1990 को और उस तारीख से दिन के दौरान उसका कार्य-समय न्यूनतम 2 घण्टों के अन्तराल के साथ विभाजित हुआ है तो प्र मा 35 रु० का विभाजित ड्यूटी भत्ता	14-3-1992	
2.	41(4)	1-1-1987 को और उस तारीख से निम्न सारणी के प्रथम स्तम्भ में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी द्वितीय स्तम्भ में वर्णित तदनुरूपी विराम भत्ते का पात्र होगा :	41(4) 1-6-1991 को और उस तारीख से निम्न सारणी के प्रथम स्तम्भ में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी द्वितीय स्तम्भ में वर्णित तदनुरूपी विराम भत्ते का पात्र होगा :	14-3-1992	

(1)	(2)		
अधिकारियों की श्रेणियां/वेतनमान	दैनिक भत्ता (रुपये)		
	प्रमुख "क" वर्ग के नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
वेतनमान-VI व VII	100.00	80.00	60.00
वेतनमान-IV व V	100.00	80.00	60.00
वेतनमान-II व III	70.00	60.00	50.00
वेतनमान-I	70.00	60.00	50.00

बशर्ते कि

क. यदि कुल अनुपस्थिति अवधि 8 घण्टों से कम किन्तु 4 घण्टों से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता संदाय होगा।

ख. विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में एकल आवास कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी :

(1)	(2)		
अधिकारियों की श्रेणियां/वेतनमान	दैनिक भत्ता (रुपये)		
	प्रमुख "क" वर्ग के नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
वेतनमान-IV और उससे ऊपर के अधिकारी	120.00	100.00	85.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	100.00	85.00	75.00

बशर्ते कि

क. यदि कुल अनुपस्थिति अवधि 8 घण्टों से कम किन्तु 4 घण्टों से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता संदाय होगा ।

ख. विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में एकल आवास के प्रभारों तक सीमित होगी :

क्रम सं०	विनियम संख्या	वर्तमान विनियम				विनियम का आशोधित रूपांतर बोर्ड द्वारा आशोधन बोर्ड द्वारा किये गये आशोधन को अपनाए जाने की ध्यान में रखने के बाद तारीख					अभ्युक्तियां
		खान-पान व्यय (रुपये)					खान-पान व्यय (रुपये)				
		अधिकारियों की श्रेणियां वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख "क" वर्ग के नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान	अधिकारियों की श्रेणियां/ वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख "क" वर्ग के नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		वेतनमान VI व VII	4*होटल	100.00	80.00	60.00	वेतनमान VI व VII	4*होटल	120.00	100.00	85.00	
		वेतनमान IV व V	3*होटल	100.00	80.00	60.00	वेतनमान IV व V	3* होटल	120.00	100.00	85.00	
		वेतनमान II व III	2*होटल (अवासा०)	70.00	60.00	50.00	वेतनमान II व III	2*होटल (अवासा०)	100.00	85.00	75.00	
		वेतनमान-I	1*होटल (अवासा०)	70.00	60.00	50.00	वेतनमान-I	1*होटल (अवासा०)	100.00	85.00	75.00	
		ग. यदि विराम स्थान पर निशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है तो 3/4 विराम भत्ता अनुमत होगा।					ग. यदि आवास व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक के माध्यम से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है तो 3/4 विराम भत्ता अनुमत होगा।					
		घ. यदि विराम स्थान पर निशुल्क भोजन व्यवस्था है तो 1/2 विराम भत्ता अनुमत होगा।					घ. यदि भोजन व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक के माध्यम से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है तो 1/2 विराम भत्ता अनुमत होगा।					
		ङ. यदि विराम स्थान पर निशुल्क आवास एवं भोजन व्यवस्था है तो 1/4 विराम भत्ता अनुमत होगा।					ङ. यदि आवास एवं भोजन व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक के माध्यम से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है तो 1/4 विराम भत्ता अनुमत होगा। लेकिन, यदि कोई अधिकारी किये गये वास्तविक व्यय के लिये बिल पेश किये बिना घोषणा पर भोजन व्ययों का दावा करता है तो वह 1/4 विराम भत्ते के लिये पात्र नहीं होगा।					

क्रम सं०	विनियम संख्या	वर्तमान विनियम	विनियम का आशोधित रूपांतर बोर्ड द्वारा किये गये आशोधन को ध्यान में रखने के बाद	बोर्ड द्वारा आशोधन अपनाये जाने की तारीख	अभ्युक्तियां
1		2	3	4	5
		च. सारे निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय के बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिये 1-1-1987 को और उस तारीख से 10 रु० का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है ।	च. सारे निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय के बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिये 1-1-1987 को और उस तारीख से 10 रु० का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जायेगा ।		
		स्पष्टीकरण	स्पष्टीकरण		
		विराम भत्ते की संगणना के लिये "प्रतिदिन" का अभिप्राय है 24 घण्टों की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना वायुयान के मामले में प्रस्थान में लिये रिपोर्टिंग समय से तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के अनुसूचित समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जायेगी । यदि कुल अनुपस्थिति अवधि 24 घण्टों से कम है तो, "प्रतिदिन" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घण्टों से कम न हो ।	विराम भत्ते की संगणना के लिये "प्रतिदिन" का अभिप्राय है 24 घण्टों की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना वायुयान के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से तथा अन्य मामलों में प्रस्थान से अनुसूचित समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जायेगी । यदि कुल अनुपस्थिति अवधि 24 घण्टों से कम है तो "प्रतिदिन" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घण्टों से कम न हो ।		
3.	44. (II)	1-1-1987 को और उस तारीख से जब कोई अधिकारी 4 सालों में एक बार छुट्टी किराया रियायत का उपयोग करता है तो उसे एक बार एक माह से अनधिक विशेषाधिकार छुट्टी अभ्यर्पित करके उसका नकदीकरण के लिये उस के द्वारा जिस माह में छुट्टी किराया रियायत ली जा रही है, उस माह के संबंध कुल अनुलाभों के लिये अनुमत किया जा सकता है ।	44(II) 1-6-1991 को और उस तारीख से जब कोई अधिकारी 4 सालों में एक बार छुट्टी किराया रियायत का उपयोग करता है तो उसे एक बार एक माह से अनधिक विशेषाधिकार छुट्टी अभ्यर्पित करके उसका नकदीकरण करने के लिये अनुमत किया जा सकता है । विकल्पतः उसे 2 वर्षों के 1 खण्ड में अपने गृह नगर की और दूसरे खण्ड में भारत के किसी भी स्थान की यात्रा करने पर प्रत्येक खण्ड में 15 दिनों की या एक खण्ड में 30 दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण अनुमत किया जा सकता है । छुट्टी के नकदीकरण के लिये उस के द्वारा किस माह में छुट्टी किराया रियायत ली जा रही है, उस माह के संबंध कुल अनुलाभों के लिए अनुमत किया जा सकता है ।	14-3-1992	

1	2	3	4	5
	बशर्ते कि अधिकारी अपने विकल्प पर एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की राशि प्रधान मंत्री राहत कोष के लिये दे सकता है जिसके लिये उसे बैंक को इस आशय का पत्र देते हुए राशि उक्त कोष में जमा करने का प्राधिकार देना होगा ।	बशर्ते कि अधिकारी अपने विकल्प पर एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की राशि प्रधान मंत्री राहत कोष के लिये दे सकता है जिसके लिये उसे बैंक को इस आशय का पत्र देते हुए राशि उक्त कोष में जमा करने का प्राधिकार देना होगा ।		

एस० दिनेश नायक
महा प्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 1992

सं० एन-15/13/12/3/91-यो० एवं वि०-(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-5-92 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात्

"जिला जयपुर में तहसील सांगानेर में राजस्व ग्राम मदरामपुरा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

एम० घोष,
संयुक्त बीमा आयुक्त

क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र

बम्बई-400013, दिनांक 3 अप्रैल 1992

सं० 31-व्ही-34-11(30) समन्वय कक्ष-एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियम 10-ए-1 के अधीन पुणे क्षेत्र के लिए इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 31-व्ही 34-11(30) समन्वय कक्ष, दिनांक 17-1-1989 द्वारा गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया जाता है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा यह अधिसूचना की तारीख से लागू होगी :-

अध्यक्ष

विनियम 10-ए-1 (ए) के अन्तर्गत

1. श्रम उप आयुक्त,
पुणे

सदस्य

विनियम 10-ए-1(बी) के अन्तर्गत

2. प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी के प्रशासकीय अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (डब्ल्यु० एम० आर०)
पुणे

विनियम 10-ए-1(सी) के अन्तर्गत

3. चिकित्सा निरीक्षक,
प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (डब्ल्यु० एम० आर०),
पुणे

विनियम 10-ए-1(डी) के अन्तर्गत

4. श्री पी० डी० पाटील,
पर्सोनल एण्ड वेल्फेयर आफीसर,
स्वस्तिक रबड़ प्रोडक्टस, स्वस्तिक हाऊस,
खड़की, पुणे-411003

5. श्री बी० एन० नहार मालक
नहार प्लास्टिक्स प्रा० लि०,
एस-34 टी ब्लाक, एम० आई० डी० सी०,
भोसरी के पास, एम० आई० डी० सी०
पोस्ट आफिस, पुणे-411026

6. श्री डी० जे० भणगे,
एडवोकेट, मनेजमेंट कन्सल्टेंट,
इमकान एसोसिएट्स, बी-1, अश्विनी को० आ०
हाउसिंग सोसायटी, मुबंई-पुणे,
शिवाजीनगर, पुणे-411005

7. श्री एस० जी० चौधरी,
पर्सोनल आफीसर, इन्कब इंडस्ट्रीज लि०,
केबल हाउस, हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
पुणे-411013

विनियम 10-ए-1(इ) के अन्तर्गत

8. श्री एस० के० भट,
जनरल सेक्रेटरी, जनरल लेबर यूनियन,
बी-5 उमाशंकर काम्पलेक्स,
594, नारायण पेठ, कन्याशाला के पास,
पुणे-411030

9. श्री एम० बी० आपले, वाईस प्रेसीडेंट,
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) कांग्रेस भवन,
पुणे-411005

10. श्री एस०बी० मनोहर,
जाइन्ट सेक्रेटरी, सर्व श्रमिक संघटना,
ट्रेड यूनियन सेंटर, 101 शिवाजीनगर,
पुणे-411005

11. श्री आर० टी० पुंड,
अध्यक्ष, पुणे जिला मजदूर सभा,
54, बुधवार पेठ, काकाकुवा मेंशन,
पुणे-411002

विनियम 10-ए-1(एफ) के अन्तर्गत

12. प्रबन्धक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
स्थानीय कार्यालय, पुणे

सं० 31-व्ही-34/11(40) समन्वय कक्ष—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कामगार राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए-1 के अधीन औरंगाबाद क्षेत्र के लिए इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 31-व्ही-34-11 (40) समन्वय कक्ष, दिनांक 9-1-89 द्वारा गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा यह अधिसूचना की तारीख से लागू होगी :—

अध्यक्ष

1. विनियम 10-ए-1(ए) के अन्तर्गत
श्रम आयुक्त, औरंगाबाद

सदस्य

विनियम 10-ए-1 (बी) के अन्तर्गत

2. प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी के प्रशासन अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र,
पुणे

विनियम 10-ए-1 (सी) के अन्तर्गत

3. प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, औषधालय,
औरंगाबाद

विनियम 10-ए-1 (डी) के अन्तर्गत

4. श्री रामचन्द्र निलकंठ भोंगले,
व्यवस्थापकीय संचालक, सिल्वर लाईट निर्लेप वेयर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, बी-8 इंडस्ट्रिल एरिया के पास, औरंगाबाद-431005

5. श्री केशव एकनाथराव तुपे,
संपादक, साप्ताहिक चौफेर, पानदरिबा,
औरंगाबाद

6. श्री ए० आर० खान,
कामगार तथा कल्याण अधिकारी,
औरंगाबाद टेक्सटाईल मिल्स, कोतवालपुरा,
औरंगाबाद

7. श्री आर० के० गाडोया,
व्यवस्थापकीय संचालक, महावीर पेपर प्रोडक्टस लि०,
ऐ-36-1, एम० आई० डी० सी०,
रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद-431005

विनियम 10-ए-1(ई) के अन्तर्गत

8. श्री बुद्धीनाथ बारल, जनरल सेक्रेटरी,
आल मराठवाडा, कामगार यूनियन,
कामगार भवन, एन-5, सिडको,
औरंगाबाद

9. श्री एम० ए० गफ्फार, सचिव
मराठवाडा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ इंटक कार्यालय,
खडकेश्वर, काब्रा निवास, औरंगाद-431001

10. श्री रमेश पोले, जनरल सेक्रेटरी,
भारतीय मजदूर संघ, सुपारी हनुमान रोड,
2-15-21, औरंगाबाद

11. श्री उध्दव भवलकर, जनरल सेक्रेटरी,
औरंगाबाद मजदूर यूनियन,
सिटू कार्यालय, अंजनगर, औरंगाबाद

विनियम 10-ए-1 (एफ) के अन्तर्गत

12. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय औरंगाबाद,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
औरंगाबाद

सं० 31-व्ही-34-11(50) समन्वय कक्ष—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए- के अधीन "मिरज" क्षेत्र के लिए इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 31-व्ही-34-11(50) समन्वय कक्ष, दिनांक 19-4-1989 के अनुसार गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे । यह समिति इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी :—

अध्यक्ष

विनियम 10-ए-1 (ए) के अन्तर्गत

(1) सहायक श्रम आयुक्त,
सांगली

सदस्य

विनियम 10–ए–1(बी) के अन्तर्गत

(2) प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी के
प्रशासकीय अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
डब्ल्यु० एम० रिजन, 966 रविवार पेठ,
पुणे

विनियम 10–ए–1 (सी) के अन्तर्गत

(3) चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना औषधालय,
मिरज

विनियम 10–ए–1 (डी) के अन्तर्गत

(4) श्री अनन्त दत्तात्रेय देशपांडे, संचालक,
फाईन स्प्रैंही एसोसिएट्स एण्ड इंजीनियरस
प्रा० लि०, सी–45/2, एम० आई० डी० सी०,
मिरज–416410

(5) श्री डी० ए० शिंदे,
शान्ती प्रेस्टिस्ड प्रोडक्टस,
सी–64, एम० आई० डी० सी०,
मिरज–416410

विनियम 10–ए–1 (इ) के अन्तर्गत

(6) श्री टी० बी० पाटील, महा सचिव,
सर्व श्रमिक संघ, 559, माली गल्ली, शिवाजीनगर,
सांगली

(7) श्री पी० वी० जोग,
कार्यकारी सदस्य, मिरज तालुका गिरणी
कर्मचारी संघ, कामगार भवन,
महात्मा गांधी रोड, सांगली,
जिला सांगली

विनियम 10–ए–1(एफ) के अन्तर्गत

(8) प्रबन्धक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
स्थानीय कार्यालय मिरज

सं० 31–व्ही–34–11(52) समन्वय एकक—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य), विनियम 1950 के विनियम 10–ए–1 के अधीन पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र के लिए इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 31–व्ही–34–11(52) समन्वय कक्ष, दिनांक 3–2–89 द्वारा गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे :—

अध्यक्ष

विनियम 10–ए–1 (ए) के अन्तर्गत

(1) श्रम उपायुक्त, पुणे

सदस्य

विनियम 10–ए–1 (बी) के अन्तर्गत

(2) प्रशासकीय चिकित्सा कार्यालय के प्रशासकीय अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा योजना
(डब्ल्यु० एम० आई०) पुणे–2

विनियम 10–ए–1 (सी) के अन्तर्गत

(3) चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय,
पिंपरी, पुणे

विनियम 10–ए–1 (डी) के अन्तर्गत

(4) श्री पी० डी० भिण्डे, कामगार सल्लागार,
मराठा चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज,
पुणे–411030।

(5) श्री एस० पी० शिन्दे, भागीदार,
ॲरिस्टो फाइलस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी,
डब्ल्यू० 229/इ, भोसरी इण्डस्ट्रियल एरिया,
पुणे–411026।

(6) श्री आर० वी० कुलकर्णी,
व्यवस्थापक,
थरमक्स लिमिटेड, चिंचवड,
पुणे–411019

(7) श्री जान्सन जोसेफ,
सहायक महाव्यवस्थापक, कायनेनिक इंजिनियरिंग लि०,
डी–1, ब्लाक, प्लाट नं० 18/2, चिंचवड,
पुणे–411019

विनियम 10 ए–1 (इ) के अन्तर्गत

(8) श्री वी० पी० नातू,
संयुक्त सचिव/सहसचिव, नेशनल फेडरेशन आफ लेबर,
गांधी काम्पलेक्स, 212 नारायण पेठ,
एन० सी० केलकर रोड,
पुणे–411030

(9) श्री जी० पी० कदम, सह सचिव,
राष्ट्रीय श्रमिक संघ,
637 बी, शिवाजी नगर,
डेक्कन जिमखाना,
पुणे–411004।

(10) श्री आर० बी० शरमाले,
सेक्रेटरी, पुणे मजदूर सभा,
54 बुधवार पेठ, काका कुवा मेन्शन,
लक्ष्मी रोड,
पुणे–411002

(11) श्री एन० ए० जोशी,
ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, पुणे जिला कामगार संघ,
द्वारा भारतीय मजदूर संघ,
185, शनिवार पेठ,
पुणे–411030

विनियम 10–ए–1 (एफ०) के अन्तर्गत

(12) प्रबन्धक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
स्थानीय कार्यालय चिंचवडा

सं० 31–व्ही–34–11(54)समन्वय एकक:—एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10–ए–1 के अधीन "लोनावला" तलेगांव क्षेत्र के लिये इस कार्यालय की अधिसूचना 31–व्ही–34–11(54) स्था० 1, दिनांक 13–2–89 के द्वारा गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी:—

अध्यक्ष

(1) विनियम 10–ए–1(क) के अन्तर्गत
श्रम उपायुक्त, पुणे

सदस्य

विनियम 10–ए–1(ख) के अन्तर्गत

(2) प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
966, रविवार पेठ,
पुणे–2

विनियम 10–ए–1(ग) के अन्तर्गत

(3) चिकित्सा निरीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
966 रविवार पेठ,
पुणे–2

विनियम 10–ए–1(घ) के अन्तर्गत

(4) श्री दिलीपकुमार शिवलाल शाह,
पार्टनर, शिवलीला इण्डस्ट्रीज,
76, लोणावला इण्डस्ट्रियल को० आप० इस्टेट,
नगरगांव,
लोणावला–411401

(5) श्री शंकर परशुराम शेलके, कल्याण अधिकारी,
एस्टीफिक्शन बेरींग्ज, लि०, पी० जे० नेहरू मार्ग,
लोणावला–410401

(6) श्री मंजूनाथ गोबिन्द हेगडे,
प्रशासकीय अधिकारी,
परफेक्ट इंजिनियरिंग प्राडक्टस प्रा० लि०,
172, तुंगर्ली, लोणावला–410403

विनियम 10–ए–1(ङ) के अन्तर्गत

(7) श्री विष्णु कोंडीराम चव्हाण, अध्यक्ष
मावल श्रमिक संघ, तपोधाम कालोनी,
तलेगांव स्टेशन, तालुका, मावल,
जिला पुणे।

(8) श्री नरेश तुकाराम खोंडगे, एकक सचिव,
भारतीय कामगार सेना बेंच, पुणे-मुम्बई मार्ग,
अकुर्डी, पुणे–35

(9) श्री जगन्नाथ काशिनाथ सहस्त्रबुद्धे,
संयुक्त सचिव, नेशनल फेडरेशन आफ लेबर,
गांधी काम्पलेक्स, 212 नारायण पेठ,
एन० सी० केलकर रोड,
पुणे–411030

(10) विनियम 10–ए–1 (च) के अन्तर्गत
प्रबन्धक,
स्थानीय कार्यालय लोणावला,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

आदेशानुसार,
आर० आर० कुम्भारे
क्षेत्रीय निदेशक

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 8 मई 1992

सं० एफ० पी० 2(121)/91/1663—जहां मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, बंगलौर (कोड संख्या के० एन०/6692) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1 सी०) के अन्तर्गत, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 से छूट प्रदान करने के लिये अपने एक कर्मचारी श्री एम० एल० अबरोल के सम्बन्ध में आवेदन भेजा है।

चूंकि मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी० सी० एस० पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के इस कर्मचारी पर लागू है, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्थापना के कर्मचारी, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में था, तथा सी० सी० एस० पेंशन नियमों द्वारा शासित था, को निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि से उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो सरकार के 22–1–90 के आदेश के अनुसरण में 22–1–90 से 21–7–90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत्त हुए को कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सभी उपबन्धों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिये एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधायें देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा।

दिनांक 11 मई 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1667—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी है	के० भा० नि० आ० फाइल नं०
1.	मैसर्स यू० बी० एस० पब्लिशर्ज डिस्ट्रीब्यूटर लि०, 5-अनसारी रोड, पोस्ट बाक्स नं० 7015, न्यू दिल्ली—110002	डी० एल०/1061	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89/भाग-1/20-11-91	26-11-91	27-11-91 से 26-11-94	2/486/81-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान फरटीलाईजर, कारपो० लि०, मधुबन, 55, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली	डी एल०/4869	वही 7-11-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/727/82-डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को अंतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिसंगत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1675—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित दिल्ली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची–1

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स मदन ब्रदर्स बी–25 फेज–1 मायापुरी न्यू दिल्ली–110064	डीएल/2533	1–11–90 से 31–10–93	2/4125/92–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स सनातन धर्म पब्लिक स्कूल ईस्ट पंजाबी बाग रोड, नं० 10 न्यू दिल्ली–110026	डी० एल/9449	1–11–88 से 31–10–91	3/4126/92–डी० एल० आई०
3.	मैसर्स इन्टरनेशनल सिविंग (इण्डिया) प्रा० लि०, 75 लिंक रोड, लाजपत नगर–III, न्यू दिल्ली–110024 (साथ में सभी शाखायें जो इस कोड में स्थित है)	डी० एल/6708	1–12–87 30–11–90	2/2032/89–डी० एल० आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1683—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है।	के०भ०नि०आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स दि कुडप्पा जिला को० अ० सैन्ट्रल बैंक लि०, पी० बी० 31, हैड आफिस, कुडप्पा–516001 (एपी०)	ए०पी/2375	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/89/भाग–1 दिनांक 24–9–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/3036/90–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स स्टैण्डर्ड इक्यूटी फण्ड लि०, 6–3–927, सोमा–जी–गुडा, हैदराबाद–500482	ए० पी/17049	वही दिनांक 22–5–90	30–11–90	1–12–90 से 30–11–93	2/2704/90–डी० एल० आई०
3.	मैसर्स सपोंगा आयरन इण्डिया लिमिटेड, एल० आई० आई० एल० कम्पस–507154 पलोंचा, खम्मम जिला	ए० पी/4687	वही दिनांक 13–2–90	11–2–92	12–2–92 से 11–2–95	2/704/82–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स सरवरया टैक्सटाईल्ज लिमिटेड, पी० बी० नं० 63, बीच रोड–कामोनाडा–533007 (ए० पी०)	ए पी/370	वही दिनांक 16–2–91	31–12–91	1–1–92 से 31–12–94	2/3347/90–डी० एल० आई०

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1691—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए के०भ०नि०आ० और छूट है	फाइल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स श्री जयाज्योथी एण्ड कम्पनी नं० 70, अलगई नगर, राजापलायम-626117	टी० एन/182	2/1959/डी०एल० आई/89/पार्ट/545 दिनांक 1-9-89	31-8-80	1-9-90 से 31-8-93	2/2235/89-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स वैली टैक्सटाइलस मिल्स (प्रोपराईटरस वैली काटन ट्रेडर्स लि०) (एन० वेंकटेशवरापुरम एन० सुब्रयापुरम (पी० ओ०) मदुर (टी० के)	टी० एन/20015	2/1959/डी० एल० आई/89/पार्ट-1 दिनांक 14-3-90	31-12-90	1-1-91 से 31-12-93	2/2457/90-डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
3.	मैसर्स जनथा इण्डस्ट्रीज शंकरनकोल रोड,	राजापलायम–626117	टी० एन/20376	2/1959/डी० एल० आई/89/पार्ट–1 दिनांक 12–9–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2876/90–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स मुथया, अलागप्पा मैट्रीक्यूलेशन हायर सैकेण्डरी स्कूल कोटाईयूर	टी० एन०/20738	2/1959/डी० एल० आई/89/पार्ट–1 दिनांक 12–9–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2869/90–डी० एल० आई०.

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती, तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1699—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)

की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०नि०आ० फाइल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स मदुरनटकम को-आपरेटिव सुगर मिल्स, पोडलम–603308	टी० एन०/3466	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89/पार्ट–1/1568 दिनांक 10–9–91	4–2–92	5–2–92 से 4–2–95	2/1092/84–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स टक्सटाइल्स (इण्डिया) लिमिटेड 179, टी० एच० रोड, मद्रास–81	टी० एन०/3829	एम–35014/40/88/एस० ए० II दिनांक 27–6–88	26–6–91	27–6–91 से 26–6–94	2/1757/88–डी० एल०आई०
3.	मैसर्स एम० ए० खिजार हुसैन एण्ड सन्स, 91, एम० बी० टी०, रोड, रानीपत	टी० एन०/4088	2/1959/डी० एल० आई०/89/पार्ट–1 दिनांक 18–9–89	28–2–91	1–3–91 से 28–2–94	2/2068/89–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स शिवनन्दा स्टील्स लिमिटेड प्लाट नं० 18 से 20, अम्बाटूर इन्डस्ट्रीयल एस्टेट अम्बाटूर मद्रास–600058	टी० एन०/6361	2/1959/डी एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1 दिनांक 14–6–89	7–1–92	8–1–92 से 7–1–95	2/779/82–डी०एल०आई०
5.	मैसर्स थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड 25 ए, सिपकोट इन्डस्ट्रीयल कोम्पलेक्स, रानीपत–632403 एन० ए० डी० टी०	टी एन०/10733	2/1959/डी एल०आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1 दिनांक 18-9-89	30–11–90	1–12–90 से 30–11–93	2/2079/89–डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
6.	मैसर्स इसर ग्लास वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड, 20/6, डिवोलप्ड प्लाट, अम्बाटूर इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, मद्रास-600058	टी०एन०/12452	2/1959/डी एल०आई०/एक्जम/पार्ट 89/पार्ट-1 दिनांक 4-10-89	31-8-91	1-9-91 से 31-8-94	2/2569/90-डी० एल० आई०
7.	मैसर्स साहा केल लि० सी-6, 7 एण्ड 8 इन्डस्ट्रीयल काम्पलैक्स, मैरियाम्मलाई नगर, 603209, चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट	टी०एन०/17201	2/1959/डी०एल०आई०/एक्जम/89/पार्ट-1 दिनांक 29-8-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/2735/90-डी० एल० आई०
8.	मैसर्स टैक्सटन कैमिकल्स (प्रा०) लिमिटेड, न० 21, डाक्टर नेटसन सलाई, अशोक रोड़, मद्रास-600083	टी०एन०/17372	2/1959/डी०एल०आई०/एक्जम/89/पार्ट-1 दिनांक 4-10-89	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/2571/90-डी० एल० आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

दिनांक 12 मई 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1707—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल संख्या
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स रैरीस कन्फेक्शनरी लिमिटेड डेयर हाउस, दूसरी मंजिल, पी० बी० नं० 2040 मद्रास-600001 (छः शाखों सहित जोकि इसी कोड नं० के अन्तर्गत)	टी० एन०/345-बी	1-4-90 से 31-3-93	2/4018/92-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स वमरापक्कम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड टी० पी० डी० 44, वमरापक्कम-632504 नार्थ आरकोट अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट	टी० एन०/10080	1-10-88 से 30-9-91	2/4016/92-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स पटोलाइजेशन डिस्पेंसरी ई० आई० डी० पैरी (इण्डिया) लिमिटेड रानीपेट-632401 नार्थ आरकट डिस्ट्रिक	टी० एन०/11083	1-3-90 से 28-2-93	2/4017/92-डी० एल० आई०
4.	मैसर्स पोस्टलिया इंटर फेंक प्रा०, लिमिटेड, 61, माउरथ रोड, मद्रास-600008 (इसी कोड नं० के अन्तर्गत शाखों सहित)	टी० एन०/11252	1-11-89 से 30-10-92	2/4014/92-डी० एल० आई०
5.	रैमं ईश्म फाउन्डेशन 109, एम एन रोड ऐमिगीरी, मद्रास-29	टी एन /17437	1-11-89 से 31-10-92	2/4033/92-

अनुसूची -II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदत्त होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमोदना के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगी ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1715—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, एतद्वारा उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-1

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स विक्टर ग्रीफन मरचंदीसिंग प्रा० (लि०) 8वीं फ्लोर, इरोज अपार्टमेंटस, 56, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-19 (साथ में सभी शाखाएं जो इस कोड नं० में स्थित हैं)	डी० एल०/9051	1-2-90 से 31-1-93	2/4064/92-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स रङीकुरा फारमेटीकल्ज प्रा० लिमिटेड, बी-117, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, न्यू दिल्ली-110020	डी० एल०/6705	1-2-89 से 31-1-92	2/4082/92-डी० एल० आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल न हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एग्जाम/89/भाग-1/1723—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि-

नियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-2) में उल्लिखित पिछली तारीखों से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–I

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स जी० वी० के० होटल्स (लि०) (दि कृष्णा ओबराय) रोड, नं० 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500034 (साथ में सभी शाखाएं जो इस कोड में स्थित है)	ए० पी०/20687	1–4–91 से 31–3–94	2/4063/92–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स कलर डाई केम० प्रा० लि०, 90–एफ० आई० डी० ए०, जोडीमेटला, हैदराबाद	ए० पी० /19658	1–3–90 से 28–2–93	2/4062/92–डी० एल० आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य

निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1731—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची II में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-I

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स एलेम्बिक केमीकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, एलेम्बिक रोड, बड़ौदा–390003	जी० जे०/1053	1-1-90 से 31-12-92	2/4024/92-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स एबरन लिमिटेड, एलेम्बिक रोड, बड़ौदा–390003	जी० जे०/7006	1-11-89 से 30-10-92	2/4025/92-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स क्राफ्ट कन्टेनरस पी-30, परदार पटेल एस्टेट, अजीवा रोड, बड़ौदा–390019	जी० जे०/16377	1-12-89 से 30-11-92	2/4026/92-डी० एल० आई०
4.	मैसर्स गुजरात परोरैक लिमिटेड, 10वीं मंजिल, रेनट्रन टावर, प्रोडक्टीविटी रोड, बड़ौदा–390005	जी० जे०/16077	1-1-90 से 31-12-92	2/4027/92-डी० एल० आई०
5.	मैसर्स कन्सोलिडेट रेटरोटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, आफ्टल टावर्स, 6वीं मंजिल, आर० सी० दत्त रोड	जी० जे०-9848	1-12-89 से 30-11-92	2/4028/92-डी० एल० आई०
6.	मैसर्स लाईट पब्लिकेशनस लिमिटेड, एलेम्बिक रोड, बड़ौदा–390003	जी० जे०/4770	1-11-89 से 31-10-80	2/4029/92-डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-ङ) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी० एन० (368)/92/1739—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्रम-सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी० एन०/24559	मै० भात पलो वर्क्स नं० 1, अवीनापुरम रोड, तिरुप्पारनकुंडरम, मदुरई-5	1-7-91
2.	टी० एन०/24557	मै० 4-ई कोट्टाईपट्टी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आप० बैंक, कोट्टाइपट्टी, युस्लामपट्टी (तालुक), मदुरई जि०	1-3-91

1	2	3	4
3.	टी० एन०/24518	मै० कलासमीराककी कुडीयी मण्णु प्राईमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव बैंक, वार्ड–12 5-38-डी बीच रोड, कोट्टार, नागर कोईल–2	1–7–91
4.	टी० एन०/26331	मै० के० गोविदन फैब्रिकेशन कान्ट्रेक्टर 3, तिरुपुर कुमरान स्ट्रीट, मनाली, मद्रास–103	1–6–91
5.	टी० एन०/26305	मै० एस० ए० खालिक, बीड़ी, कन्ट्रेक्टर, 45, पोलिस स्टेशन रोड, जोलारपट, एन० ए० जि०	1–3–91
6.	टी० एन०/26334	मै० के० नारयणन इंजीनियरिंग कन्ट्रेक्टर, 38–11 एस० टी० नेताजी नगर, मद्रास–57	1–4–91
7.	टी० एन०/26335	मै० ए० मनी लेबर कंट्रेक्टर 28–11 एस० टी० नेताजी नगर, एरनावुर गेट, मद्रास–57	1–5–91
8.	टी० एन०/26401	मै० अनुप्रसाद सिक्योरिटी सर्विस, 15 कन्यासामी नगर, पून्नामल्ली, मद्रास–56	1–6–91
9.	टी० एन०/26378	मै० अरूल लैदर्स, 24 मेलाकोट्टायूर (वाया) वंडालूर, मद्रास–48	1–6–91

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) तमिलनाडु (369)/92/1746—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें :

क्रम. सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी० एन०/24454	मै० प्रमेश्वरी फैब्रिक्स, 21–बी साउथ चितराय स्ट्रीट, मदुरई	1–2–91
2.	टी० एन०/26222	मै० सिक्योर सिक्योरिटी सर्विस 10, आजाद स्ट्रीट, चिन्ना हुसनपुरा, आर्कोट, एन० ए० जिला	1–5–91
3.	टी० एन०/26221	मै० ननुद ब्रादर्स (प्रा०) लि०, 5 चक्काराय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास–79	1–3–91
4.	टी० एन०/24279	मै० तिरुपति मिल्स, नालामुमुथु पिल्लई, न्यू रोड, 32, चित्राकूट स्ट्रीट, मदुरई और इसकी शाखा।	1–7–90
5.	टी० एन०/25396	मै० सत्यगिरी इंजीनियरिंग कं०, 83–डी, राजगोपाल स्ट्रीट नं० 1, पी० के० डी० नगर, पीलामेडु, कोयम्बटूर–4	1–2–91
6.	टी० एन०/25395	मै० तिरुपर ट्रैवल्स (प्रा०) लि०, 726 अवनाशी रोड, कोयम्बटूर–641018	1–4–91
7.	टी० एन०/24568	मै० एम० डी० 21, डिंडीगुल एग्रो इंजीनियरिंग सर्विस को-आपरेटिव सैंटर लि०, 56–ई, पोनरा ग्रामनटम रोड, डिन्डीगुल	1–6–91
8.	टी० एन०/24567	मै० डी० डी० 538, काशीपलायाम प्राईमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव बैंक, काशीपलायाम पोस्ट, बैंडासन्टूर तालुक, डी० क्यू० एम० जि०	1–6–91

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

दिनांक 14 मई 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1755—जहां मैसर्स ट्रीटन वालव्ज लिमिटेड., मरकारा रोड, बेलाधाड़ी, मैसूर-571186 (कोड संख्या: कर्ना/7640) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

और चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अब: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1177 दिनांक 21-12-89 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 1-9-91 से 31-8-94 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 31-8-94 भी शामिल है ।

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, ऐसे उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1763—जहां मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., पोस्ट बाक्स नं. 565, सेलम-636005 (कोड सं. टी. एन./2949) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं। (दिनांक 1-8-89 से 31-7-92 तक)।

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1771—जहां मैसर्स फाउंडेशन्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड, 254 डी, डाक्टर एनी बसन्त रोड, वौन्ड बोक्स हाउस, बम्बई-25 (एम. एच./4803) ने कर्मचारी भविष्य निधि और

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. एस. 35014/316/82/पी. एफ. II/एस. एस. II दिनांक 21-4-87 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 25-12-88 से 24-12-91 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 24-12-91 भी शामिल है ।

अनुसूची—I

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1779—जहां मैसर्स जानसन एण्ड जानसन लि., 224-बी. धारवी रोड, बम्बई-400 017 (महा/4818) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-5-88 से 30-4-91 तक) ।

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा से संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay-400 005, the 21st April 1992

No. 120/12-01-001/92.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India hereby directs that in modification of the noitfiaction DBOD. No. Ret.BC. 120/C.96(Ret)-91 dated May 3, 1991, all scheduled commercial banks will be exempted from the maintenance of the 10 per cent incremental cash reserve ratio for any increase in net demand and time liabilities over the level as on April 17, 1992. The 10 per cent incremental cash reserve ratio would, however, continue to be operative up to the level of net demand and time liabilities as on April 17, 1992.

KUM. V. VISVANATHAN
Executive Director

CANARA BANK

PERSONNEL & INVESTMENTS WING

HEAD OFFICE

Bangalore-560 002, the 29th April 1992

No. : PWPM 4420 71 RAO.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of CANARA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulation further to amend the CANARA BANK (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS—1979.

2. Short title and commencement

(1) These Regulations may be called the CANARA BANK (OFFICERS') SERVICE (AMENDMENT) REGULATIONS - 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

3. Details of the Amendment

As furnished in the Annexure :

PERSONNEL MANAGEMENT SECTION

Sl. No.	Regulation No.	Existing Regulation	Amended version of Regulation after taking into Account Amendment made by the Board	Date of adoption of Amendment by the Board	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	23(viii)	If his working hours during a day are split within minimum interval of 2 hours, a Split Duty Allowance of Rs. 25/- p.m.	23(viii) On and from 1-1-1990, if his working hours during a day are split with minimum interval of 2 hours, a Split Duty Allowance of Rs. 35/- p.m.	14-3-1992	
2.	41(4)	On and from 1-1-1987, an Officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof:	41(4) On and from 1-6-1991, an Officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof:	14-3-1992	

(1)	(2)			(1)	(2)		
Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rupees)			Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rupees)		
	Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places		Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
Scale VI & VII	100.00	80.00	60.00	Officers in			
Scale IV & V	100.00	80.00	60.00	Scale-IV and			
Scale II & III	70.00	60.00	50.00	above	120.00	100.00	85.00
Scale I	70.00	60.00	50.00	Officers in Scale-I/II/III	100.00	85.00	75.00

1	2	3	4	5	6

Provided that

a. Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

b. Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotel, subject to the limits given below:

Grades/ Scales of Officers	Eligibility to Stay	Boarding Charges (Rupees) Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scale VI & VII	4*Hotel	100.00	80.00	60.00
Scale IV & V	3*Hotel	100.00	80.00	60.00
Scale II & III	2*Hotel (Non-AC)	70.00	60.00	50.00
Scale I	1*Hotel (Non-AC)	70.00	60.00	50.00

c. Where free lodging is provided at the place of halt 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

d. Where free boarding is provided at the place of halt, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

e. Where free lodging and free boarding are provided at the place of halt, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible.

f On and from 1-1-1987, a Supplementary Diem Allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Provided that

a. Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

b. Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :

Grades/ Scales of Officers	Eligibility to Stay	Boarding Charges (Rupees) Major 'A' Class Cities	Area-I	Other Places
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scale-VI & VII	4*Hotel	120.00	100.00	85.00
Scale IV & V	3*Hotel	120.00	100.00	85.00
Scale II & III	2*Hotel (Non-AC)	100.00	85.00	75.00
Scale-I	1*Hotel (Non-AC)	100.00	85.00	75.00

c. Where lodging is provided at Bank's cost/ arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

d. Where boarding is provided at Bank's cost/ arranged through the Bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

e. Where lodging and boarding are provided at Bank's cost/arranged through the Bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible. Where however, an Officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.

f. On and from 1-1-1987 a Supplementary Diem Allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty shall be paid to all inspecting officers.

1	2	3	4	5	6
		EXPLANATION	EXPLANATION		
		For the purpose of computing Halting Allowance "per diem" shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in case of air travel and the schedule time for departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours.	For the purpose of computing Halting Allowance "per diem" shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours.		
3.	44(ii)	On and from 1-1-1987, once in every four years, when an Officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding one month at a time. For the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the availment of the leave travel Concession commences shall be admissible.	44(ii) On and from 1-6-1991, once in every 4 years when an Officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding one month at a time. Alternatively, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any shall be admissible. place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of 15 days in each block or 30 days in one block. For the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the availment of the Leave Travel Concession commences shall be admissible.	14-3-1992	
		Provided that an Officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund.	Provided that an Officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund.		

H. Dinesh Nayak
General Manager

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 13th May 1992

No. N-15 13/12/3/91-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-5-1992 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefits) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely :—

"The area comprising the Revenue village of Madram Pura in Tehsil Sanganer, District Jaipur."

S. GHOSH
Jt. Insurance Commissioner

REGIONAL OFFICE MAHARASHTRA

Bombay-13, the 3rd April 1992

No. 31. V. 34.11(30)Co. Ord. Br.—It is hereby notified that the Local Committee setup vide this Office Notification No. 31. V. 34.11(30) Co. Ord. Br. dated 17-1-89 for Pune area under Regulation 10-A-1 of the E.S.I. (General) Regulations 1950 has een re-constituted with the following members with effect from the date of this Notification.

Chairman

Under Regulation 10-A-1 (a)

1. The Dy. Commissioner for Labour, Pune.

Members

Under Regulation 10-A-1 (b)

2. The Administrative Officer to the Administrative Medical Officer, E.S.I. Scheme, (WMR), Pune-2

Under Regulation 10-A-1 (c)

3. The Medical Inspetcor,
Office of the Administrative
Medical Officer,
E.S.I. Scheme, (W.M.R.), Pune-2.

Under Regulation 10-A-1 (d)

4. Shri P. D. Patil,
Personal & Welfare Officer,
Swastik Rubber Products,
Swastik House, Khadki,
Pune-411 003.

5. Shri V. N. Nahar,
Proprietor,
Nahar Plastic Pvt. Ltd.,
S-34 T, Block, M. I. D. C.,
Near Bhosari, MIDC Post Office,
Pune-411 026.

6. Shri D. J. Bhange,
Advocate Management Consultant,
IMCON Associates,
B-1, Ashvini Co.Op Hsg. Society,
Bombay-Pune Road, Shivaji Nagar,
Pune-411 005.

7. Shri S. G. Choudhary,
Personal Officer,
INCAB Industries Ltd.
Kewal House,
Hadapsar Industrial Estate,
Pune-411 013.

Unde Rregulation 10-A-1(e)

8. Shri S. K. Bhat,
General Secretary,
General Labour Union,
B-3 Umashankar Complex,
594-Narayan Peth,
Near Kanyashala,
Pune-411 030.

9. Shri S. V. Aphale,
Vice President,
Rashtriya Mazdoor Congress (INTUC),
Congress Bhavan,
Pune 411 005.

10. Shri S. B. Manohar,
Joint Secretary,
Sarva Shramik Union,
Trade Union Centre,
101 Shivaji Nagar,
Pune 411 005.

11. Shri R. T. Pund,
President,
Pune Jillha Mazdoor Sabha,
54-Budhwar Peth,
Kaka Kuwa Mansion,
Pune-411 002.

Under Regulation 10A-1(f)

12. The Manager,
E.S.I Corporation,
Local Office Pune.

No. 31. V. 34 11(40)Cord.Br.—It is hereby notified that the Local Committee set up vide this office notification No. 31. V. 34.11(40) Cord. cell dated 9-1-89 for Aurangabad area under Regulation 10-A-1 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 has been re-constituted with the following members with effect from the date of this Notiflcation.

Chairman

Under Regulation 10-A-1 (a)

1. The Dy. Labour Commissioner,
Aurangabad.

MEMBERS

Under Regulation 10-A-1(b)

2. The Administrative Officer to
the Administrative Medical Officer,
E.S.I Scheme, 966 Raviwar Peth,
W.M.R., Pune-2.

Under Regulation 10-A-1(c)

3. The Medical Officer I/c.,
E.S.I. Scheme Dispensary,
Aurangabad.

Under Regulation 10-A-1 (d)

4. Shir Ramchandra Nilkanth Bhogle,
Managing Director,
Silverlite Nirlep Wear, Industries Pvt. Ltd.,
B-8, Industrial Area, Near Rly. Station,
Aurangabad-431 005.

5. Shri Keshav Eknath Tupe,
Editor, Weekly Choufare,
Pandariba, Aurangabad.

6. Shri A. R. Khan,
Labour & Welfare Officer,
Aurangabad Textile Mills,
Kotwalpura, Aurangabad.

7. Shri R. K. Gadia,
Managing Director,
Mahavir Paper Products Ltd.,
A 36-1 M.I.D.C., Rly. Station Road,
Aurangabad-431 005.

Under Regulation 10-A-1 (e)

8. Shri Buddhinath Baral,
General Secretary,
All Marathawada Kamgar Union,
Kamgar Bhavan,
N-5 CIDCO, Aurangabad.

9. Shri M. A. Gaffar,
Secretary,
Marathawada Rashtriya Mill Mazdoor Sangh,
INTUC Office, Khadkeshwar,
Kabra Niwas, Aurangabad-431 001.

10. Shri Ramesh Pole,
General Secretary,
Bhartiya Mazdoor Sangh,
Supari Hanuman Road,
2-15-21 Aurangabad.

11. Shri Udhdav Bhavalkar,
General Secretary,
Aurangabad Mazdoor Union,
CITU Office, Ajabnagar,
Aurangabad.

Under Regulation 10-A-1(f)

12. The Manager,
E.S.I. Corporaiton,
Local Office Aurangabad.

No. 31. V the 34. 11(50)Co. Ord. Br.—It is hereby notified that the Local Committee setup vide this office Notification No. 31.V.34.1(50)Cord. Cell dated 19-4-89 under Regulation 10-A-1 of the E.S.I. (General) Regulations 1950 for Miraj area has been reconstituted with the following members with effect from the date of this Notification.

Chairman

Under Regulation 10-A-1(a)

1. The Asstt. Labour Commissioner,
Sangli.

Members

Under Regulation 10-A-1(b)

2. The Administrative Officer to
the Administrative Medical Officer
E.S.I. Scheme. (WMR), 966, Raviwar Peth,
Pune.

Under Regulation 10-A-1(c)

3. The Medical Officer I/C.,
E.S.I. Dispensary,
Miraj.

Under Regulation 10-A-1(d)

4. Shri Anant Dattatraya Deshpande,
Director,
Fine Spehvi Associates &
Engineers Pvt. Ltd.,
C-45/2, M.I.D.C.
Miraj-416 410.

5. Shri D.A. Shinde,
Shanti Pesticide Products,
C-64, M.I.D.C.,
Miraj-416 410.

Under Regulation 10-A-1(e)

6. Shri T. B. Patil,
General Secretary,
Sarva Shramik Sangh,
559-Mali Galli, Shivaji Nagar,
Sangli.

7. Shri P. V. Joge,
Executive Member,
Miraj Taluka Girni Karmachari Sangh,
Kamgar Bhavan, Mahatma Gandhi Road,
Sangli, Dist. Sangli.

Under Regulation 10-A-1(f)

8. The Manager,
E.S.I. Corporation,
Local Office Miraj.

No. 31. V. 34.11 (52)Co. Ord. Br.—It is hereby notified that the Local Committee set up vide this office Notification No. 31. V. 34.11(52)Co. Ord. Br. dated 3-2-89 for Pimpri-Chinchward area under Regulations, 1950 has been reconstituted with the following members with effect from the date of this notification.

Chairman

Under Regulation 10-A-1 (b)

1. The Dy. Commissioner of Labour,
Pune.

Members

Under Regulation 10-A-1 (b)

2. The Administrative Officer to
the Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme. (WMR), 966, Raviwar Peth,
Pune-2.

Under Regulation 10-A-1(c)

3. The Medical Officer I/C.,
E.S.I. Dispensary,
Pimpri. Pune.

(Under Regulation 10-A-1(d)

4. Shri P. D. Bhide,
Labour Advisor,
Maratha Chambers of Commerce and Industries,
Pune-411030.

5. Shri S. P. Shinde,
Partner,
Aristo foils Mfg. Co.,
W-229/E, Bhosari Industrial Area,
Pune-411 026.

6. Shri R. V. Kulkarni,
Manager,
Thermax Ltd., Chinchward,
Pune-411019.

7. Shri Jhonson Joseph
Asstt General. Manager,
Kinetic Engineering Ltd.,
D-1, Block, Plot No. 18/2,
Chinchward,
Pune-411019.

Under Regulation 10-A-1(e)

8 Shri V. P. Natu,
Joint Secretary,
National Federation of Labour,
Gandhi Complex, 212-Narayan Peth,
N. C. Kelkar Road,
Pune-411 030.

9. Shri G. P. Kadam,
Jt. Secretary,
Rashtriya Shramik Sangh,
637/B, Shivaji Nagar,
Deccan Gymkhana,
Pune411 004.

10. Shri R. B. Sharmale,
Secretary,
Pune Mazdoor Sabha,
54, Budhwar Peth, Kaka Kuwa Menson,
Laxmi Road,
Pune-411 002.

11. Shri N. A. Joshi,
Organising Secretary,
Pune, Jilha Kamgar Sangh,
C/o Bharatiya Mazdoor Sangh,
185, Shanivar Peth,
Pune-411 030.

Under Regulation 10-A-1(f)

12. Manager,
Employees' State Insurance Corporation,
Local Office Chinchward.

No. 31. V. 34.11(54) Co. Ord. Br.—It is hereby notified that the Local Committee set up vide this office Notifiaction No. 31.V.34.11(54)Estt.I. dated 13-2-89. for Lonavala area under Regulation 10-A-1 of the E.S.I. (General) Regulations 1950, has been reconstituted with the following members with effect from the date of this Notification.

Chairman

Under Regulation 10-A-1(a)

1. The Dy Commissioner of Labour
Pune.

Members

Under Regulation 10-A-1(b)

2. The Administrative Officer to
the Administrative Medical Officer
E.S.I. Scheme. (WMR), 966, Raviwar Peth,
Pune-2.

Under Regulation 10-A-1(c)

3. The Medical Inspector,
Office of the Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme, (WMR), Pune.

Under Regulation 10-A-1(d)

4. Shri Dilipkumar Shivlal Shah,
Partner,
Shivlila Industries,
76-Lonavala Industrial Co.Op. Estate,
Nagargaon, Lonavala-410 401.

5. Shri Shankar Parshuram Shelke,
Welfare Officer,
Antifriction Bearings Ltd.,
P. J. Nehru Marg,
Lonavala-410 401.

6. Shri Manjunath Govind Hegde,
Administrative Officer,
Perfect Engineering Products Pvt. Ltd.,

Under Regulation 10-A-1(e)

7. Shri Vishnu Kondiram Chavhan,
President,
Maval Shramik Sangh,
Tapodham Colony,
Telegaon Station,
Taluka : Maval,
Dist : Pune.

8. Shri Naresh Tukaram Khodge,
Unit Secretary,
Bhartiya Kamgar Sena Branch,
Pune Bombay Road, Akurdi,
Pune-35.

9. Shri Jagannath Kashinath Shastrebuddhe,
Joint Secretary,
National Federation of Labour,
Gandhi Complex,
212-Narayan Peth,
N.C. Kelkar Road,
Pune-411 030.

Under Regulation 10-A-1(f)

10. The Manager,
E.S.I. Corporation,
Local Office Lonavala.

By Order,

R. R. KUMBHARE,
Regional Director.

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 8th May 1992

No. P.F. 2 (121)/91/1663.—Whereas M/s Bharat Heavy Electricals Limited Bangalore, (Code No. KN/6682) has forwarded an application(s) in respect of its employee Shri M. L. Abrol for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 17(1-C) of Employees Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to this individual employee of the said establishment are more favourable than the benefit provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1-C) of section 17 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the above said individual employee of the said establishment who was under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and was governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Famliy Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of these who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Govt. orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :

1. These employees will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.

2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to each of the said employee shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

The 11th May 1992

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1667.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than than the benefits admissible under he Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended.	CPFC File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s U.B.S. Publishers/ Distributors Ltd., 5, Ansari Road, Post Box No. 7015, New Delhi-110 002.	DL/1061	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I Dated 20-11-91	26-11-91	27-11-91 to 26-11-94	2/486/84-DLI
2.	M/s Hindustan Fertilizer Coorpn. Ltd., Madhuban, 55, Nehru Place, New Delhi-110019.	DL/4869	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 7-11-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/727/82-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs (s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the to the nominee (s)|Legal heirs (s) of the deceased member nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1675.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exmption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Delhi from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s Madan Brothers, B-25, Phase I, Maya Puri, New Delhi-110064.	DL/2533	1-11-90 to 31-10-93	2/4125/92-DLI
2.	M/s Sanatan Dharam Public School, East Punjabi Bagh Road, No-10, New Delhi-110026.	DL/9449	1-11-88 to 31-10-91	2/4126/92-DLI
3.	M/s Interocean Shipping (India) Pvt. Ltd., 75, Link Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024. (Including branches covered under this code No.).	DL/6708	1-12-87 to 30-11-90	2/2032/89-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1683.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed heerto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Scheduled-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt.'s Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended.	C.P.F.C.'s
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. The Cuddapah Distt. Co. op. Central Bank Ltd., P.B. No. 31, H.O. Cuddapah, Cuddapah-516001 (A.P.)	AP/2375	2/1959/DLI/Exemp.89/ Pt-I dt. 24-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3036/90/DLI
2.	M/s. Standard Equity Fund Ltd., 6-3-927, Somajiguda Hyderabad-500482.	AP/17049	2/1959/Exempt.89.Pt-I/ Dt. 22-5-90	30-11-90	1-12-90 to 30-11-93	2/2704/90/DLI
3.	M/s. Sponga Iron India Ltd. S.I.T.C., Campus 507154-Paloncha Khamam, Distt.	AP/4687	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt-I dt. 13-2-90	11-2-92	12-2-92 to 11-2-95	2/704/82/DLI
4.	M/s. Sarvaraya Textiles Ltd., P.B. No. 63, Beach Rd., Kakinada-533007 (A.P.).	AP/370	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.I/256 dt. 16-2-91	31-12-91	1-1-92 to 31-12-94	2/3347/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp|89|Pt.1|1691.—WHEREAS, THE employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the 'Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C, Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the proivsions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. & Date of the Govt.'s Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended.	C.P.F.C.'s
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Jayajothi & Company Ltd., No. 70, Alagai Nagar, Raja palayam-626117.	TN/182	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt./545 dt. 1-9-89	31-8-90	1-9-90 to 31-8-93	2/2235/89-DLI
2.	M/s. Valli Textiles Mills (Proprictors Vallicotton Traders Limited) N. Venkateswarapuram, N. Subhiapuram (P.O.) Sattur-T.K.	TN/20015	2/1959/DLI/Exemp. 89/ Pt-I dt. 14-3-90	31-12-90	1-1-91 to 31-12-93	2/2457/90-DLI
3.	M/s. Janatha Industries, Sankaran Koil Road, Rajapalayam-626117.	TN/20376	2/1959/DLI/Exemp./89/ Pt. I dt. 12-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2876/90-DLI
4.	M/s. Muthiah Alagappa Matriculation Hr. Sec. School, Kattaiyur-623106.	TN/20738	2/1989/DLI/Exmp./89/ Pt.-I dt. 12-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2869/90-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/ legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1699.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds Miscellanous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power Conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. & Date of the Govt.'s Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended	C.P.F.C's
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Madurantakarm Co-operative Sugar Mills Podalam-603008.	TN/3466	2/1959/DLI/Exempt/89/ Pt.-I/1568 dt. 10-9-91	4-2-92	5-2-92 to 4-2-95	2/1092/84
2.	M/s. Tablets (India) Ltd., 179, T.H. Road, Madras-81.	TN/3829	S-35014/40/88/SS-II dt. 27-6-88	26-6-91	27-6-91 to 26-6-94	2/1757/88
3.	M/s. Sivananda Steels Ltd., Plot No. 18 to 20 Ambala Industrial Estate-Ambattur Madras-600058.	TN/6361	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.-I dt. 14-6-89	7-10-92	8-1-92 to 7-1-95	2/779/82/DLI

1	2	3	4	5	6	7
4.	M/s M.A. Khizar Hussain, and sons 91 M.B.T. Road, Ranipet.	TN/4088	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.-I dt. 18-9-89	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/2068/DLI
5.	M/s. Thirumalai Chemicals Ltd., 25-A, Sipcot Industrial Complex, Ranipet 632403, NADT.	TN/10733	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.-I dt. 18-9-89	30-11-90	1-12-90 to 30-11-93	2/2079/91-DLI
6.	M/s. Essar Glass Works(P) Ltd., 20/6, Developod Plot Ambattur Industrial Estate, Madras-600058.	TN/12452	2/1959/DL/Exemp./89/ Pt.-I dt. 4-10-89	31-8-91	1-9-91 to 31-8-94	2/2569/90 DLI
7.	M/s. Saha Keil Ltd., C-6, 7 & 8, Industrial Complex, Maraimalai Nagar 603209 Chingleput-District	TN/17201	2/1959/DLI/Exemp./89/ Pt.-I dt. 29-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2735/90/DLI
8.	M/s. Textan Cnemicals (P) Ltd., No. 21, Dr. Natsan Saldi, Ashok Nagar, Madras-600083.	TN/17392	2/1959/DLI/Exemp./89/ Pt.-I dt. 4-10-89	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2571/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regisional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment ot inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immdiately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regnional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 12th May 1992

No. 2/1949/DLI/Exemp/89/Pt.I/1707.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are mote favourable to such employees than the benifits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power Conferred bu Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule 11 annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Madras from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Parry's Confectionery Ltd., Dare House, IInd Floor, P.B. No. 2040 Madras-600001. (with 6 branches under the same code no.)	TN/345-B	1-4-90 to 31-3-93	2/4018/92 /DLI
2.	M/s. Damarapakkam Milk producers Cooperative Society Ltd., TPD-44, Damarapakkam-632504 North Arcot Ambedkar Distt.	TN/10080	1-10-88 to 30-9-91	2/4016/92/DLI
3.	M/s. Utilisation Dispensary, E.I.D., Parry (I) Ltd., Ranipet-632401 North Arcot-Distt.	TN/11083	1-3-90 to 2-2-93	2/4017/92 /DLI
4.	M/s. Postolia Inter Frank (P) Ltd., 61, Montieth Road, Egmore, Madras-600008 (Including branches covered under this code No.)	TN/11252	1-11-89 to 30-10-92	2/4014/92/DLI
5.	M/s. Eve's Foundation 109, N.N. Road, Aminjikarai Madras-29.	TN/17437	1-11-89 to 31-10-92	2/4033/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything containd in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1949/DLI/Exemp/89/Pt.I/1715.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power Conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditons specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Delhi from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	CPFC File No.
1.	M/s. Victor Griffon Merchandising Pvt. Ltd., 8th Floor, Eros Apartments, 56, Nehru Place, New Delhi-19, (Including branches covered under this code No.)	DL/9051	1-2-90 to 31-1-93	2/4064/92-DLI
2.	M/s. Radicura Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd., B-117, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.	DL/6705	1-2-89 to 31-1-92	2/4082/92-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immdiately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/Legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959 DLI/Exemp/89/Pt.I/1723.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said menitoned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Andhra Pradesh from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	CPFC File No.
1.	M/s. G.V.K. Hotels (Ltd.) (The Krishna Oberoi) Road No. I, Banjara Hills, Hyderabad-500034 alongwith its branches covered under the same code No.	AP/20687	1-4-91 to 31-3-94	2/4063/92-DLI
2.	M/s Kalar Dyechem Pvt., Ltd., 90 F, IDA, Jeedimetla Hyderabad.	AP/19658	1-3-90 to 28-2-93	2/4062/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1731.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujara t from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	Alemtric Chemical Works Co. Ltd., Alembic Rd., Baroda-390003.	GJ/1053	1-1-90 to 31-12-92	2/4024/92/DLI
2.	M/s. Aavaran Ltd., Alemtric Rd., Baroda-390003.	GJ/7006	1-1-89 to 31-10-92	2/4025/92/DLI
3.	M/s. Kraft containers C/30, Sardar Patel Estate, Ajwa Road, Baroda-390019.	GJ/16377	1-12-89 to 30-11-92	2/4026/92/DLI
4.	M/s. Gujarat Propack Ltd., 10th, Floor, Nepture, Tower, Productivity Road, Baroda-390005.	GJ/16077	1-1-90 to 31-12-92	2/4027/92/DLI
5.	M/s. Consolidated Petrotech Industries Ltd., Office Towers, 6th Floor, R.C. Dutt, Rd., Baroda-390005.	GJ/9848	1-12-89 to 30-11-92	2/4028/92/DLI
6.	M/s. Light Publications Ltd., Alembic Road, Baroda-390003.	GJ/4770	1-11-89 to 31-10-92	2/4029/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect

Dated, the 12th May, 1992

No. CPFC. 2/4)/TN/368)/92/1739—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the Estt.	Date of coverage
1.	TN/24559	M/s. Bharat Plough Works, No. 1, Avaniapuram Road, Tirupparan Kundram, Madurai-5.	1-7-91
2.	TN/24557	M/s. M.D. Spl. 4E, Kottaipatty Primary Agricultural Co-op. Bank, E. Kottaipatty (P.O.), Usilampatty (T.K.) Madurai Distt.	1-3-91
3.	TN/24518	M/s. Kalasamirakkikudiyiruppu Primary Agricultural Co-op. Bank Ltd., Y-125, 38-D, Beach Road, Kottar Post, Nagor Coil-2.	1-7-91
4.	TN/26331	M/s. K. Govindan, Fabrication Contractor 3, Thiruppur Kumaran Street, Manali, Madras-103.	1-6-91
5.	TN/26305	M/s. M.A. Khaliqu Beedi Contractor 45, Police Station Rod, Jolarpet, N.A. Dist.	1-3-91
6.	TN/26334	M/s. R. Narayanan Engg. Contractor, 38, II St., Netaji Nagar, Madras-57.	1-4-91
7.	TN/26335	M/s. A. Mani, Labour Contractor, 28, II St., Netaji Nagar, Eranavur Gate, Madras-57.	1-5-91
8.	TN/26401	M/s. Anuprasad Security Services, 15, Kanda Samy Nagar, Poonamallee, Madras-56.	1-6-91
9.	TN/26378	M/s. Arul Leathers, 24, Mela Kotaiyur (via) Vandalur, Madras-48.	1-6-91

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. CPFC 2/4)/TN /369)/92/1746—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissoner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Misellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952),should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the Estt.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	TN/24454	M/s. Parameswari Fabrics, 21-B, Chitrai Street, Madurai.	1-2-91
2.	TN/26222	M/s. Sincere Security Service, 10, Azath Street, Chinna Hasanpura, Arcot, N.A.A. District.	1-5-91
3.	TN/26221	M/s. Nanooh Brothers (P) Ltd., 5, Chakkarai Chetty St. Madras-79 including its office at 165, Angappa Naicken Street, Madras.	1-3-91
4.	TN/24279	M/s. Thiruppathi Mills, Nalla Muthu Pillai New Road, 32, Chitrakkara Street, Madurai-1 including its branch.	1-7-90

1	2	3	4
5.	TN/25396	M/s. Sapthagiri Engineering Co. 83-D, Rajagopal St. No. 1, P.K.D. Nagar, Peelamedu, Coimbatore-4.	1-2-91
6.	TN/25395	M/s. Tirupur Travels (P) Ltd., 726, Avanashi Road, Coimbatore-641018.	1-4-91
7.	TN/24568	M/s. M.D. 21, Dindigul Agro Engineering & Service Co-op. Centre Ltd., 56, E. Ponnagaram Natham Road, Dindigul, Quai-Eilleth District.	1-6-91
8.	TN/24567	M/s. D.D. 538, Kasipalayam Primary Agricultural Co-op. Bank, Kasipalayam Post Vedasandur Taluk, Quaid-E-Milleth District. Pin-624711.	1-6-91

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

New Delhi, the 14th May 1992

No. 2/1959/DLI/Exemp|89|Pt.2|1755.—WHEREAS, M/s. Trilon Valves Ltd., Mercara Road, Belavadi, Mysore-571186 (Code No. KN/7640), have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exam|89|Pt.I|11/7, dated 21-12-89 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 1-9-91 to 31-8-94 upto and inclusive of the 31-8-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interst of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt. I/1763.—WHEREAS M/s. Burn Standard Co. Ltd., Post Box No. 565 Salem-63005 (Code No. TN/2949) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Coimbatore from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-8-89 to 31-7-92.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt. I/1771.—WHEREAS M/s. Asia Foundations and Constructions Ltd, 254-D, Dr. Anne Basant Road, Band Box House, Bombay-25 (MH/4803), have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notication No S-35014/316/82/PF.II/SS.-II/ Dated 21-4-87 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 25-12-88 to 24-12-91 upto and inclusive of the 24-12-91.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt. I/1779.—WHEREAS M/s. Johnson & Johnson Ltd., 224-D, Dharvi Road, Bombay-400017 (MH/4818) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-5-1988 to 30-4-1991.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 5th May, 1992

CORRIGENDA

No. UT/DBDM/947/SPD-160/91-92—The following corrections in our notification No. UT/DBD&M/4992/SPD 172/91-92 dated February 14, 1992 published on page Nos.543 to 547 in the Gazette of India (Part III Section 4) dated March 7, 1992.

MASTERSHARE PLUS UNIT SCHEME—1991

S. No. No.	Page No.	Col. No.	Clause/Sub clause	Corrections
1	543	2	II(i)	The words 'Number of units in issue should be in single inverted commas.
2	543	2	II(j)	In the 3rd line, the words 'of the' should be deleted.
3	543	2	II(l)	The word 'Registrar' should be corrected as 'Registrars'.
4	544	2	II(r)	The sub clause is wrontly mentioned as 'f' instead of 'r'.
5	544	1	IV(l)	In the first line the word 'of' should e replaced by 'or'
6	544	2	VI(a)	In the 2nd line, the word 'he' should be corrected as 'the'
7	545	1	VIII(d)	In the first line, the word 'charge' should be corrected as 'change'
8	545	1	IX(i)	After the subclause (i) the number '3' should be deleted.
9	546	1	XIII(d)	In the first line the word 'fo' should be corrected as 'of'
10	546	1	XIII(e)	In the 6th line, the word 'preceding' should be corrected as 'preceeding'
11	546	2	XIV(b)	In the 6th line the word 'e. ect' should be corrected as 'effect'
12	546	2	XV(a)	In the second line the word 'rovisions' should be corrected as 'provisions'.
13	546	2	XV(a)	In the seventh line the word 'expences' should be corrected as 'expenses'
14	546	2	XVI(c)	In the fourth line the word 'brought' should be corrected as 'bought'.
15	547	1	XVII	In the heading line the word 'restriction' should be corrected as 'restrictions'.
16	547	2	XX	In the 12th line the hyphen between 'Master' and 'shares' should be deleted
17	548	2	XX	In the twentieth line the word 'share' should be corrected as 'shares'

A.K. THAKUR
Chief General Manager
(Business Devt. & Mktg.)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992